न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 175 / 2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2023 / 224

1–3 कालूराम, मूलचंद, सोजीराम पुत्र लादू लाल गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1– घीसा पुत्र रामदेव गुर्जर निवासी मालीखेड़ा तहसील फुलिया कलां जिला भीलवाड़ा
2– केदार पुत्र कालू गुर्जर निवासी मालीखेड़ा तहसील फुलिया कलां जिला भीलवाड़ा
3– रामकिशन पुत्र रामरतन गुर्जर निवासी मालीखेड़ा तहसील फुलिया कलां जिला भीलवाड़ा
4– मनभरी पत्नी किशनलाल मीणा निवासी टोंपा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– गोविन्दा पुत्र भंवर लाल मीणा निवासी 355 / 33, पाइल मिया का तकिया, पाल बिचला, अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : **27-06-2023**

उपस्थित :–

1. श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थीगण

::– निर्णय –::

दिनांक : **05-08-2025**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.45 है., 1351 रकबा 0.45 है. कुल किता 2 रकबा 0.90 है0** कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है।** प्रार्थीगण दिनांक 02.05.2023 **को अपनी आराजियात पर गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया।** इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 2 रकबा 0.90 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु** न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. **4, 5** बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं. **1, 2, 3** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

आज दिनांक **05-08-2025** को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत्**

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

2076 से 2079 ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.45 है., 1351 रकबा 0.45 है. कुल किता 2 रकबा 0.90 है0** के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार **शाहपुरा** को प्रार्थीगण की **संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार आराजी **ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.45 है., 1351 रकबा 0.45 है.** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **05-08-2025** को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा